Scheme of French Architectural Agency for Tree Wood Housing

*455. SHRI RAMACHANDHAN PILLAI: WiU the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government of India received a proposal from a French architectural agency for Tree Wood Housing Scheme in India;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that the French Government has suspended the scheme due to the lack of interest shown by the Kerala Government; and

(d) whether Government have any plan to educate the coconut planters about the benefits of the scheme?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR):
(a) and (b) As part of the Indo-French Collabpration efforts, Housing and Urban Development Corporation
(HUDCO) have received a proposal from the Tropical Wood Housing Institute of Paris, to be implemented in collaboration with the Kerala State Nirmithi Kendra, involving transfer of technologies for use of coconut timber in construction in Kerala. (c) No, Sir.

(d) Technology transfer at grass root levels is being propagated through building centres in various parts of the country utilising locally available materials for building and manufacture of building materials with appropriate technology upgradation.

छोटे ट्रैक्टरों की खरीद के लिए किसानों को अनुदान

*456. श्री शिवचरण सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे ट्रैक्टरों की खरीद के लिए पंजाब के किसानों को अनुदान दिए जाने के बारे में कोई घोषणा की गई है, यदि हां, तो यह ट्रैक्टर कितनी अश्व-शक्ति का होगा तथा कितनी जमीन वाला किसान इस अनुदान का हकदार होगा ; और

(ख) क्या राजस्थान के किसानों को भी इस तरह के ट्रैक्टर खरीदने के लिए अनुदान प्राप्त होगा, यदि हां, तो किस तिथि से और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) 18 अश्व-शक्ति से कम के छोटे ट्रैक्टरों की खरीद पर राज सहायता देने की एक योजना निम्नांकित घटकों के साथ तैयार की गई है :—

(1) एक ट्रैक्टर एवं सहायक उपस्करों के लिए बैंक ऋण हेतु किसानों की पात्रता वर्षभर सिंचित वर्तमान 8 एकड़ भूमि से घटाकर 6 एकड़ करनी होगी ।

(2) प्रति हैक्टेयर और एक ट्रैक्टर सहित तीन सम्बन्धित उपस्कर 30,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ 30 प्रतिशत की राजसहायता प्रदान की जाएगी । राजसहायता 6 से 8 एकड तक वैयक्तिक रूप से वर्षवार सिंचित भूमि रखने वाले किसानों को या किसानों के उस समूह को उपलब्ध होगी जिनकी कुल वर्षभर सिंचित भूमि 6 से 8 एकड के बीच है ।

(3) ऋण के पुनर्भुगतान की अवधि वर्तमान 9 वर्षों से बढाकर 12 वर्षों तक की जानी है ।

(4) डाउन पेमेंट/मार्जिन धनराशि 15 प्रतिशत होगी जो भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई राजसहायता के अतिरिक्त होगी ।

(ख) योजना 1992-93 के दौरान देश के सभी राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए है ।

Production cost of cotton

*457. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state;

(a) what was the cot of production of cotton in Maharashtra, Gujarat,